संख्या-1017/33-3-2021-63/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:31 मई, 2022

विषय-कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय व सभागार बहुखण्डी भवन, विधान सभा, लखनऊ के रेनोवेशन कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रिट/129/2022-03/83/2019 दिनांक 24.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय व सभागार बहुखण्डी भवन, विधान सभा, लखनऊ के रेनोवेशन कार्यो का आगणन अनुमानित लागत रू0-31.30 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत किया जायेगा।आगणन की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है |

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत धनेराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा।

(6) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

Amit Srl.

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) स्वीकृत धनराशि का वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

2- कृपया उक्तानुसार कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय व सभागार, बहुखण्डी भवन, विधान सभा लखनऊ के रेनोवेशन कार्यो का आगणन अनुमानित लागत धनराशि रू0-31.30 लाख से कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 31.5.22

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।
3- प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4- निदेशक/उपाध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान; प्रिट, उ0प्र0 लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।